

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/BSPTCL-04/2015
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका, जमुई तथा सिवान जिलों में एक-एक, भागलपुर में एक, वारसलीगंज (नवादा), कोढ़ा (कटिहार) एवं कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में एक-एक नये 3X50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं उससे संबद्ध संचरण लाइनों के निर्माण हेतु 374.15 करोड़ (तीन सौ चौहत्तर करोड़ पंद्रह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या 2561 दिनांक 29.08.2015 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका, जमुई तथा सिवान जिलों में एक-एक, भागलपुर में एक, वारसलीगंज (नवादा), कोढ़ा (कटिहार) एवं कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में एक-एक नये 3X50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं उससे संबद्ध संचरण लाइनों के निर्माण हेतु 374.15 करोड़ (तीन सौ चौहत्तर करोड़ पंद्रह लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश संख्या 1592 दिनांक 17.05.2016 के द्वारा 100.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यादेश संख्या 2823 दिनांक 11.09.2017 के द्वारा 75.00 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यादेश संख्या 1583 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा 173.15 करोड़ (एक सौ तिहत्तर करोड़ पंद्रह लाख) रुपये अर्थात् अबतक कुल 349.15 करोड़ (तीन सौ उनचास करोड़ पंद्रह लाख) रुपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा 15.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका, जमुई तथा सिवान जिलों में एक-एक, भागलपुर में एक, वारसलीगंज (नवादा), कोढ़ा (कटिहार) एवं कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में एक-एक नये 3X50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं उससे संबद्ध संचरण लाइनों के निर्माण हेतु 374.15 करोड़ (तीन सौ चौहत्तर करोड़ पंद्रह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।
5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-04/2015 के पृष्ठ संख्या-7/टि० पर दिनांक-25.08.2015 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-04/2015 पृष्ठ संख्या-29/टि० पर दिनांक-29.04.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-04/2015

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-04/2015

1124

/पटना, दिनांक- 10/05/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आईटी०-मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।